झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-:: संकल्प ::-

विषय :- **प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (सेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी अनुशंसाएँ एवं उस क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पेटिशन संख्या-1022/89 (ऑल इंडिया जजेज एशोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक-06.12.2005 एवं 21.02.2006 को पारित आदेश के संदर्भ में झारखंड राज्य न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के सदस्यों को भत्ते/सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में ।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पेटिशन (सिविल) संख्या-1022/89, ऑल इंडिया जजेज एशोसियेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक-06.12.2005 एवं 21.02.2006 को पारित आदेश के आलोक में झारखंड राज्य न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सेट्टी कमीशन की अनुशंसाओं को लागु करने का निदेश दिया है। फलतः मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था । सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने सेट्टी कमीशन की लंबित अनुशंसाओं को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है ।

2. झारखंड राज्य के न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सेट्टी कमीशन की लंबित अनुशंसाएँ निम्नलिखित रूप से देय होंगे :-

i) <u>जल एवं विद्युत चार्ज :-</u> न्यायिक पदाधिकारियों के आवास पर उनके द्वारा विद्युत एवं जल के उपयोग के संबंध में किये गये भुगतान के 50 प्रतिशत के समतुल्य परन्तु अधिकतम 500 रूपये की संयुक्त सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगा । यह प्रतिपूर्ति भुगतान किये गये विपत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करने पर जिला न्यायाधीश स्तर के पदाधिकारियों के मामले में माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ पदाधिकारियों के मामले में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त देय होगा ।

ii) <u>समाचार पत्र/पत्रिका :-</u> राज्य के प्रत्येक न्यायिक/उच्च न्यायिक पदाधिकारी को एक राष्ट्रीय तथा एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा एक मासिक/पाक्षिक पत्रिका जिसका अधिकतम मूल्य प्रतिमाह 50

(पचास) रूपये होगा, की आपूर्ति की जायेगी जिस पर होने वाले वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । राशि की प्रतिपूर्ति गुण प्रमाणक के आधार पर की जायेगी ।

iii) <u>पोशाक (रोब) भत्ता :-</u> पूर्व में न्यायिक पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष 1500/- की दर से पोशाक भत्ता दिया जाता था, जिसे विलोपित करते हुए सेट्टी कमीशन की अनुशंसा के आलोक में झारखंड राज्य में कार्यरत प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी/उच्चतर न्यायिक पदाधिकारी को प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार एकमुश्त 5000/- (पांच हजार) रूपये पोशाक भत्ता के रूप में दिया जाएगा ।

iv) <u>वाहन भत्ता :-</u> राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पूर्व से निर्गत आदेश को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित रूप से वाहन सुविधा/वाहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(क) सभी प्रधान जिला जज/प्रथम अपर जिला जज/मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को एक स्वतंत्र वाहन उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त पूल कार की सुविधा के अंतर्गत चार न्यायिक पदाधिकारियों के लिए एक पूल कार की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । परन्तु यदि चार पदाधिकारियों से कम भी पदाधिकारी हों, तो एक पूल कार की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । प्रत्येक पूल कार हेतु मेट्रोपोलिटन सिटी में 150 लीटर तथा अन्य शहरों में 125 लीटर पेट्रोल मासिक उपलब्ध कराया जायेगा ।

परन्तु राज्य में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारी जिन्हें स्वयं की निजी कार है तथा पूल कार का उपभोग नहीं करने का विकल्प देते हैं तो उन्हें निम्न रूप से पेट्रोल/डीजल देय होंगे :-

शहर/स्थान की श्रेणी	अनुमान्य पेट्रोल/डीजल की अधिकतम मात्रा (लीटर में)/प्रतिमाह
'ए' एवं 'ए-1' श्रेणी के शहर	75
जिला मुख्यालय	50

परन्तु यदि उन्हें निजी दुपहिया मोटर साईकिल/स्कूटर है तो वैसी स्थिति में पूल कार का उपयोग नहीं करने का विकल्प देने पर उन्हें अधिकतम 25 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह मुहैया कराया जायेगा ।

मुहैया कराये जाने वाले पेट्रोल/डिजल पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मूल व्यय प्रमाणक के आधार पर जिला न्यायाधीश स्तर के पदाधिकारियों के मामले में माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ पदाधिकारियों के मामले में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त देय होगा ।

v) आतिथ्य भत्ता :- राज्य के प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी को आतिथ्य भत्ता देने का निम्न रूप से निर्णय लिया गया है :-

क्रमांक	श्रेणी	रूपया/प्रतिमाह
1	जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/ अपर जिला जज	1000.00
2	सिविल जज सिनियर डिविजन (सब जज)	750.00
3	सिविल जज जुनियर डिविजन (मुंसिफ)	500.00

vi) चिकित्सा भत्ता :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेट्टी कमीशन की अनुशंसा के आलोक में राज्य के न्यायिक /वरीय न्यायिक पदाधिकारियों

को राज्य के विधायकों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधा के अनुरूप चिकित्सा सुविधा देने का निदेश दिया है ।

सेट्टी कमीशन ने न्यायिक/वरीय न्यायिक पदाधिकारियों को विधायकों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा में कतिपय संशोधन के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की थी । सेट्टी कमीशन की इस अनुशंसा के अनुरूप ही राज्य में अन्य राज्य कर्मियों की भाँति न्यायिक पदाधिकारियों को भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है ।

अतः राज्य के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के लिये झारखंड उपचार नियमावली तथा वित्त विभाग, झारखंड सरकार के ज्ञापांक 261 वि०, दिनांक-29.01.2004 के अंतर्गत ही अन्य राज्यकर्मियों की भाँति पूर्व से चली आ रही चिकित्सा सुविधा के अनुरूप ही दावों की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था यथावत् रहेगी । परन्तु न्यायिक/वरीय न्यायिक पदाधिकारियों के चिकित्सा व्यय पर हुए दावों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु जिला न्यायाधीश की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायाधीश के अधिनस्थ पदाधिकारियों के मामले में जिला न्यायाधीश सक्षम प्राधिकार होगे । पूर्व से वित्त विभाग के उपर्युक्त अंकित पत्र के आलोक में सरकार के प्रशासी विभाग के स्तर से प्रतिपूर्ति की स्वीकृति किए जाने वाले प्रावधान न्यायिक/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मामले में इस हद तक संशोधित माने जाएंगे ।

इसके अतिरिक्त सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को प्रतिमाह 100 रूपया की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा ।

vii) <u>एल०टी०सी०/एच०टी०सी० सुविधा :-</u> न्यायिक पदाधिकारियों को प्रत्येक चार वर्ष की अवधि में एक बार सम्पूर्ण भारत वर्ष के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी । अवकाश यात्रा का प्रथम बार उपभोग

करने के लिए 5 वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक होगी तथा सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व से इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जा सकेगा ।

न्यायिक पदाधिकारियों को प्रत्येक दो वर्ष की अवधि में अपने गृह जिला में स्थित निवास स्थान पर सपरिवार आने-जाने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा अनुमान्य होगी । ब्लॉक वर्ष की गणना पूर्व से निर्धारित ब्लॉक वर्ष के आधार पर की जायेगी एवं साथ ही अन्य शर्तें झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित अन्य राज्य कर्मियों हेतु लागू प्रावधान के अनुरूप ही होगी ।

viii) **अतिरिक्त प्रभार भत्ता :-** राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को दूसरे न्यायिक पदाधिकारी के कार्य के प्रभार में 10 कार्य दिवसों से अधिक अवधि तक कार्यरत रहने तथा पर्याप्त न्यायिक कार्यों के संपादन कर सकने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त प्रभार के पद के वेतनमान में न्यूनतम के दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) के बराबर अतिरिक्त भत्ता दिया जायेगा । अतिरिक्त प्रभार भत्ता की स्वीकृति संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रभार के न्यायालय के पर्याप्त न्यायिक कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा ।

ix) **छुट्टी एवं छुट्टी वेतन का नगदीकरण :-** राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार एक माह तक के अवकाश के बराबर अवकाश नकदीकरण की सुविधा देय होगा ।

x) **स्थानांतरण अनुदान/भत्ता की निकासी :-**राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों को 20 किलोमीटर की परिधि से अधिक दूरी तक के स्थान पर स्थानांतरण होने की स्थिति में उन्हें एक माह के मूल वेतन के बराबर की राशि स्थानांतरण अनुदान के रूप में देय होगा ।

xi) **आवास किराया भत्ता :-** प्रत्येक न्यायिक पदाधिकारी को अपनी पात्रता के अनुसार निःशुल्क सरकारी आवास भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं अनुपलब्धता की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार